

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं तहसील हुजूर जिला भोपाल

क्रमांक / /अविअ/री-2/18  
प्रति,

भोपाल दिनांक


1. आयुक्त  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा,भोपाल
2. उप नियंत्रक  
शासकीय मुद्रणालय होशंगाबाद रोड,भोपाल

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ 82/17-1 रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन हेतु धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 109/अ 82/17-18 ग्राम दौलतपुर ठिकरिया का कुल रकबा 07.250 हे0 भूमि का अर्जन रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन हेतु धारा 11 की अधिसूचना का आपकी ओर संलग्न प्रेषित है ।

2- कृपया निवेदन है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन इस सप्ताह प्रकाशित होने वाले म0 प्र0 राजपत्र/दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित होने वाले राजपत्र एवं दोनो स्थानीय समाचार पत्रों की एक-एक प्रति प्रकरण के संदर्भ हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध का कष्ट करें ।


संलग्न :- 6 प्रतियां प्रकाशनार्थ  
( प्रारंभिक अधिसूचना)

  
21/5/18  
अनुविभागीय अधिकारी एवं  
भू- अर्जन अधिकारी  
तहसील हुजूर भोपाल  
भोपाल दिनांक 21/05/18

पृ0क्र0 544/अविअ/री-2/18  
प्रतिलिपि:-

1. डिप्टी चीफ इंजिनियर/सी-।।। वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे कोटा की ओर सूचनार्थ कृपया आप अधिनियम की धारा 11 की घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।
2. अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील हुंजूर जिला- भोपाल की ओर सूचनार्थ । कृपया अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित क्षेत्र सार्वजनिक स्थान पर दो अशासकीय गवाहों दो अशासकीय गवाहों कि उपस्थिति में संबंधित थाना ग्राम पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराया जाकर तामिल सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
3. जिला पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू- अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है ।
4. उप पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू- अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है ।
5. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 शाखा , जिला कार्यालय ,भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि समुचित सरकार की बेबसाईट [www.bhopal.nic.in](http://www.bhopal.nic.in) पर प्रारंभिक अधिसूचना अपलोड करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- प्रारंभिक अधिसूचना

  
21/5/18  
अनुविभागीय अधिकारी एवं  
भू- अर्जन अधिकारी  
तहसील हुजूर भोपाल

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक -08/अ-82/2017-18

भोपाल दिनांक 21/5/18

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	दौलतपुर टिकरिया	7.250	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नबाब मोहम्मद आ० अजीज मोहम्मद निवासी भोपाल	66	0.590	0.316
2.	नाजिया हेपतुल्ला ,उजमा हुसैन पुत्रियां सै० युसुफ अली निवासी जिला भोपाल	67/2	0.770	0.341
3.	रामनारायण,मांगीलाल नवलसिंह,राजाराम, ओमप्रकाश आ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल, भागवतीबाई वि० रामफूल, कमलसिंह, शिवनारायण, आत्माराम आ० जगन्नाथ, चतरीबाई वि० जगन्नाथ, नि० ग्राम	89/2 101 102/2 108/2 109/2 110 111/1/2 कुल	3.630 0.570 0.790 0.140 0.320 0.660 0.390 6.500	0.060 0.302 0.267 0.140 0.270 0.419 0.002 1.460
4.	मांगीलाल, नवलसिंह,राजनारायण,ओम प्रकाश आ० रामफूल, पार्वती बाई पुत्री रामफूल, भागवती बाई बेवा रामफूल, रामनारायण पुत्र दौलतराम	88/1	5.300	0.650



5.	राधेश्याम, लखनलाल, तुलसीराम लालजीराम आ० रामकिशन नि० ग्राम	88/2/1	0.630	0.070
6.	रामकिशन आ० दौलतराम नि० ग्राम	88/2/2	0.900	0.470
7.	लखनलाल आ० रामकिशन नि० ग्राम	100/1/2	2.000	0.740
8.	शिव बाधवा आ०. गालाराम निवासी ग्राम	100/2/1	1.200	0.069
9.	कमल सिंह आ० जी० आर० राजपूत नि० ग्राम	108/1	0.910	0.249
		109/1	0.200	0.001
		कुल	1.110	0.250
10.	शशिकला पति कमलसिंह राजपूत निवास ग्राम	111/1/1	1.290	0.455
11.	नन्नीबाई पति लक्ष्मीनारायण, विद्याबाई पति परमानन्द नि० ग्राम	158	1.070	0.642
12.	शैतानबाई वि० शालिगराम लक्ष्मीनारायण परमानन्द आ० शालिगराम नि० ग्राम	164	1.350	0.249
		165	0.350	0.032
		166	0.730	0.001
			2.430	0.282
13	ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी नि० भोपाल	167	2.320	1.460
		168	0.350	0.045
		कुल	2.670	1.505
		कुल योग	26.460	7.250

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की बेबसाईट [www.bhopal.nic.in](http://www.bhopal.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

( डॉ. सुदाम खाडे )

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग